

to do with this project; whether they can pursue it; whether then can expedite the work by forcing this company or not, and what the exact amount that they proposed for this project, is.

KUMARI MAMATA BANERJEE: Sir, as I have said earlier, this is absolutely a private project. The Railways have nothing to do with this project. After the completion of the project, this particular company will utilise this line. The Railways can also utilise this line. The agreement was that we could also move freight from Bhadrak to that place. The Railways granted this project in the year 1997. Now, because of financial crunch, we allow the private sector also to develop the ports and connect them with other important areas. Like this, there is a port, the Pipavav port, in Gujarat also. We allowed it on 50 : 50 basis, from Pipavav port to Surendranagar. There are three or four similar ports to be connected with other areas. But there are some joint ventures between the Railways and the ports. In this particular case, it has been given absolutely to a private company, the ISP, for constructing a railway siding. The Railways have nothing to do with this. But we think, after getting the information, after getting the full survey report, the Railways have to be involved in this matter because we cannot leave the operational matter absolutely to the private sector. After the completion of the survey, I think we have to decide something. We will talk to the State Government also. We will see whether we can involve the State Government. If the State Government, the Indian Railways and this particular company work together, there will be development in the State.

*365. [The questioner (DR. DASARI NARAYANA RAO) was absent. For answer *vide* page 25 *infra*]

Lessons from gaisal accident

*366. **PROF. RAM DEO BHANDARY:#**

SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item, "One year after Gaisal, there's no guilt, no remorse, no relief", which appeared in Indian Express dated 2nd August 2000; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

#The question was actually asked on the floor of the House by Prof. Ram Deo Bhandary.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS
(SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) and (b) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Yes Sir.

(b) The News Paper report contains some factual inaccuracies. In the accident, total 287 persons were killed and 359 persons were injured. Out of 287 persons who were killed, claim cases has been filed for 276 cases. In 156 cases, decree has been passed by the Railway Claims Tribunal. In 116 cases claims has already been given at the rate of Rs.4 lakhs each. Another 40 cases are in final stage of settlement.

In view of seriousness of accident, Justice G.N. Ray, retired Judge of the Supreme Court of India has been appointed as one man Inquiry Committee to inquire into the accident. Judicial Inquiry is presently in progress. Meanwhile, CBI inquiry was also ordered on 20th October, 1999 to establish whether there was any criminal intent behind failure of railway staff as indicated in Preliminary Report of Chief Commissioner Railway Safety. CBI inquiry is in progress.

प्रो. रामदेव भंडारी: माननीय सभापति जी, कभी कभी हमारा बिहेबियर बहुत इनह्यूमन होता है और संवेदनशीलता, भावना, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। इसका एक उदाहरण यह गैसल ट्रेन दुर्घटना है। 287 व्यक्ति मारे गए और 359 घायल हो गए, यह जवाब में आया है। इनमें से सिर्फ 116 मामलों में पहले ही चार लाख रुपए प्रति मामले की दर से मुआवजा दिया जा चुका है। यह 287 का आधा भी नहीं होता है महोदय। मैं कह रहा था कि इतनी भारी संख्या में लोग मारे गए। इनकी कोई गलती नहीं थी। जो ट्रेन में चढ़े उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती थी तो जो ट्रेन को चलाते हैं, जो उसके अफसर हैं, उनकी गलती थी और उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। न लोगों को मुआवजा दिया गया है। दो तरह की इन्क्वायरी इन्होंने करायी है—एक इन्क्वायरी रियार्ड जज से और दूसरी सीबीआई से। दोनों में कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं हुई है। मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो बाकी लोग हैं मुआवजे के लिए क्या इसके संबंध में एक समय सीमा निश्चित करेंगे? इन्क्वायरी तो बहुत लम्बा प्रोसेस है। दोनों इन्क्वायरीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं। कब तक दोनों इन्क्वायरीज का रिजल्ट आएगा और किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है जो अफसर इन्वाल्ड हैं? कोई एक्स्टेंसिबिलिटी अभी तक फिक्स हुई है कि नहीं? यह मेरा पहला प्रश्न है जिसका मैं जवाब चाहता हूँ।

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब हम लोगों ने देने का काम किया है। मैं फिर से उनकी जानकारी के लिए इस बात को दोहराता हूँ कि

जो कुल 287 लोग उस दुर्घटना में मरे उनमें 276 लोगों ने अपने मुआवजे का क्लेम रेलवे पर दायर किया है और अब सब लोगों को यह पता है कि ज्यादातर शुरुआत के समय में लोगों की पहचान नहीं की जा सकी थी। वह पहचान होने के बाद 276 लोगों का दावा रेलवे के ऊपर किया गया है और रेलवे उसमें 156 लोगों को मुआवजा दे चुकी है। बाकी लोगों में भी 40 लोगों का तय हो चुका है। उनका मुआवजा भी करीब करीब मिलने वाला है और जो ट्रिब्यूनल में हमारे सामने केसेज पड़े हुए हैं उनमें हम जल्दी से जल्दी मुआवजा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें शिनाख्त ... (व्यवधान) जल्दी से इसलिए कि शिनाख्त नहीं है... (व्यवधान) देखिए उसमें दिक्कत क्या होती है कि कोई मर्द मरा, शादीशुदा नहीं है, अब उसका कौन इमीडिएट किथ एण्ड किन है जिसको पेमेंट करना है, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए, दोनों राज्य सरकारों का भी सहयोग चाहिए। जहां से लोग मरे हैं उनका सहयोग चाहिए... (व्यवधान) उसमें यह कठिनाई आ रही है। ... (व्यवधान) यह लीगल मामला है। इसमें कठिनाई तो आएगी ही। अगर हम आज किसी को मुआवजा दे दें और कल वह फिर मांगने लगे तब क्या होगा। इसलिए पूरी तरह से शिनाख्त करने के बाद ही देते हैं। हमारी मंशा एक भी पैसा रखने की नहीं है। अगर शिनाख्त पूरे तरीके से हो जाए तो हम तत्काल पैसा दे देंगे। जो एक्स ग्रेसिया पेमेंट होता है वह तो हमने तत्काल कर दी है। मरने वालों को 25 हजार रुपये, जो ग्रीवयस इंजर्ड हैं उनको 5 हजार रुपये, जिनको छिटपुट चोट लगी है उनको 500 रुपये, इतना तो तत्काल हमने दे दिया है। जहां तक इन्क्वायरी का सवाल है मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि इन्क्वायरी में काफी प्रगति है। इसकी गंभीरता को समझते हुए हमने राय साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनको बहाल किया है। वह काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। आठ-आठ दस-दस घंटे वह रोजाना बैठ रहे हैं। वह अपनी तरफ से कई बार रेलवे ट्रैक पर जा चुके हैं। इसलिए जस्टिस राय की तरफ से इन्क्वायरी में किसी तरह की कोताही नहीं हुई है।

प्रो. रामदेव भंडारी: मेरा जो दूसरा सवाल था कि कुछ लोगों के खिलाफ केयरलैसनेस का... (व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: उसके बारे में मैं बताता हूं। आपका सवाल ठीक था।

प्रो. रामदेव भंडारी: एक मिनट, आप जरा मेरी बात सुन लीजिए। ... (व्यवधान) ... कुछ लोगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की गई, संभवतः कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया था, और कुछ लोगों के खिलाफ केयरलैसनेस की वजह से कार्यवाही की गई थी, तो क्या उन सभी लोगों को फिर से रीइस्टेट कर दिया गया है और प्राइज़ पोस्ट पर रीइस्टेट किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति जी, चीफ कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पदाधिकारी होते हैं, वह इस काम को देख रहे थे। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी

उसमें जिन पदाधिकारियों को हम लोगों ने सस्पेंड किया था उनके बारे में कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बना, उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ(व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु: इसका मतलब है कोई भी गलती नहीं है?... (व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: उस समय जब इतनी बड़ी दुर्घटना घटी थी तब तत्काल रेल विभाग ने जिन लोगों की जिम्मेवारी हम समझ सकते थे या जिनकी जिम्मेवारी हो सकती थी, उन लोगों को हमने मुअत्तल किया था, सस्पेंड किया था प्रोविजनली, जिसको आप तत्काल ही कहते हैं। लेकिन इन्क्वायरी तो बाद में ही होती है और रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर ने इन्क्वायरी की। इन्क्वायरी के बाद जो तथ्य हमारे सामने आए उसमें जिन पदाधिकारियों को हमने मुअत्तल किया था उनके खिलाफ किसी तरह का कोई भी आरोप सामने नहीं आया। कुछ स्टॉफ लोग, जिनके बारे में यह जानकारी है, रेलवे कमिश्नर सेफ्टी की तरफ से भी, उसमें से भी 8 स्टॉफ लोगों को हमने वापस कर लिया, और कुछ लोग, 11 के आस-पास अभी भी मुअत्तल हैं।

प्रो. रामदेव भंडारी: आपने तो छोटे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है।

श्री दिग्विजय सिंह: जी नहीं, इसमें छोटे या बड़े का सवाल नहीं है...(व्यवधान)...छोटे लोगों को भी वापस लिया गया है। आठ स्टॉफ लोगों को हमने वापस लिया है।...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद सलीम: सभापति महोदय, मैं इसके मानविक दृष्टिकोण से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 287 लोगों की जान गई, एक मंत्री जी का मंत्रित्व गया, साल भर हो गया, इस तरीके से जब रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं तो चार किस्म की इन्क्वायरी, तरह-तरह के बयान भी आए, एक तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी, दूसरे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में हैं, उसमें कुछ लोगों ने संतोष व्यक्त नहीं किया इसलिए सी.बी.आई. इन्क्वायरी भी बुलाई गई कि इसका क्रिमिनल एंगल देखा जाए और साथ ही कुछ कांस्पिरेसी एंगल भी है या नहीं और फिर जुडीशियल इन्क्वायरी। जब ऐसे हादसे होते हैं, यह सिर्फ रेलवे ही नहीं सभापति जी, मैं ने पहले ही कहा है कि जब कोई हादसा होता है तो हम अलग-अलग तरीके से बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं और फिर भूल जाते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। अखबार में तो उस समय बयान आ गया कि 12 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया और फिर खामोशी से 12 लोगों को वापस लिया गया। जहां तक फेल्योर्ज की बात है तो जब किसी नीचे वाले की गलती होती है और उसे कसूरवार ठहराना पड़ता है तो मंत्री जी कहते हैं कि ह्यूमैन फेल्योर है, रेल के ड्राइवर, गॉर्ड, सिग्नलमैन से गलती हुई है, लेकिन जब ऊपर से किसी की गलती होती है तो उस समय ह्यूमैन फेल्योर की बात नहीं होती, तब सिस्टम फेल्योर की बात कही जाती है। ऊपर वाले लोग इतने ज्यादा सिस्टम से इंटीग्रेटेड हैं कि वहां ह्यूमैन नहीं है और नीचे वाले लोग, क्योंकि सिस्टम फेल्योर नहीं है, तो वहां ह्यूमैन फेल्योर होता है। अभी हमारे राज्य मंत्री जी ने इन्क्वायरी पर बड़ा संतोष व्यक्त किया कि जज 12-12, 14-14 घंटे बैठ रहे

हैं। फिर भी लोगों की मौत हुए एक साल हो गया है और उनके घर वालों ने उनकी बरसी मनाई है। आप यह बताइए कि आपने ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के लिए कोई टाइम फ्रेम रखा है कि इतने दिन तक इन्क्वायरी हो जाएगी? 12 घंटे अगर काम कर रहे हैं, 365 दिन काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में इन्क्वायरी होगी? मैं टाइम फ्रेम इन्क्वायरी के बारे में कह रहा हूँ कि चाहे वह सी.बी.आई. की हो या ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हो, वह टाइम फ्रेम होनी चाहिए। मैं आपके जवाब से पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 12 लोगों को तो आपने वापिस कर दिया उसी पोस्ट में, इसलिए कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी से मालूम हुआ कि इसमें उनमें से कोई कुसूरवार नहीं था। आपकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की रिपोर्ट आपके पास आ गई, चाहे वह इंटरिम हो या फाइनल हो, लेकिन उस वक्त कई बातें कही गई थीं—आई.एस.आई. की बात कही गई थी, कांस्पिरेसी के ऍंगल से कहा गया था, ह्यूमन फेल्योर की बात कही गई थी, साबोटज की बात कही गई थी। तो आप यह बताएं कि आपकी जो प्रिलिमिनी इन्क्वायरी हुई, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई थी, जिसके कारण आपने 12 लोग मुअ्तिल किए थे, अब उनको वापिस ले लिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वापिस क्यों लिया है आपने, उसकी वजह क्या है?

कुमारी ममता बनर्जी: सर, गैसल कांड के बारे में माननीय सदस्य की चिंता ठीक है, इसके बारे में पूरा देश चिंतित है और माननीय सदस्य ने जो बात उठाई, उसके साथ मैं सहमत हूँ कि यह बहुत गंभीर मामला है। हमारे प्रेजिडेंसरी नीतीश कुमार जी ने इसी के लिए रेजिग्रेशन दिया था। उसके बाद जो रेलवे सेफ्टी कमेटी है, जो सिविल एविएशन से होती है, हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से नहीं, उन्होंने जो प्रिलिमिनी रिपोर्ट दी थी, तो मेरे आने से पहले, जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया था, उनको विदड़ा किया गया था, लेकिन 11 एम्पलाइज, जो स्टाफ हैं, वे अभी तक सस्पेंड हैं।

सर, जब कोई इतना बड़ा इंसिडेंट होता है तो इसको अवश्य गंभीरता से देखना चाहिए। इसके लिए जस्टिस रॉय की कमेटी बनाई गई थी। जस्टिस रॉय कमेटी को मैंने भी इसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने के लिए परस्यू किया है। साथ-साथ मैं जो क्रिमिनल पार्ट भी है—अगर कोई रेलवे का एम्पलाइ इन्वॉल्व है या कोई अदर एजेंसी भी इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में क्रिमिनल पार्ट की जांच का काम हमने सी.बी.आई. को दे दिया है। सर, कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम लोग अगर उसको प्रेशराइज करें कि आप अभी दे दीजिए, एक दिन में रिपोर्ट दीजिए, दो दिन में दीजिए, तो वे सोचते हैं कि हम लोग इंटरफियर कर रहे हैं। We don't want to interfere in this business. लेकिन हम लोग यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह रिपोर्ट आए और यह मालूम हो कि किस कारण से यह इंसिडेंट हुआ है।

सर, क्लेम के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रेज किया है, तो क्लेम के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ कि 287 जो डेथ हुई थीं, 156 केसिस का हमारा डिफ़ी पास हुआ है, बाकी के लिए भी प्रोसेस चल रहा है और यह जल्दी हो सके, इसके लिए हम लोग ऐवरी डे इसको परस्यू कर रहे हैं लेकिन कभी डेड-बॉडी आइडेंटिफाई करने के बारे में कोई प्रॉब्लम होती है और कभी दो-तीन

आदमी एक ही केस के लिए क्लेम भी करते हैं। यह हम लोग नहीं देखते हैं, यह ट्राइब्यूनल देखता है, लेकिन रेलवे ट्राइब्यूनल के साथ भी हमने इसको जल्दी से जल्दी साल्व करने के लिए टेक-अप किया है। मैं माननीय सदस्यों को ऐश्वर्य करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा, इसको ह्यूमेनेटेरियन ग्रांऊड पर किया जाएगा। यह हमारा कर्तव्य है और हम लोग इसको करेंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह: महोदय, गैसल रेल दुर्घटना एक ऐतिहासिक रेल दुर्घटना थी और क्योंकि उसमें दो ट्रेनें आमने सामने से टकराई थीं, इसमें हेड-आन कोलिजन हुआ था और तत्कालीन मंत्री ने दुर्घटनास्थल से लौटने के बाद यह कहा था कि मानवीय भूल के कारण यह दुर्घटना हुई। उसके बाद बड़े पदाधिकारियों से लेकर छोटे पदाधिकारियों तक पर कार्रवाई हुई। जब तत्कालीन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले ली तो फिर उनको बचाने की कार्रवाई रेल डिपार्टमेंट में शुरू हो गई। इन सारे पदाधिकारियों को बचाने के दृष्टिकोण से ही फिर से सी.बी.आई. इन्क्वायरी शुरू करा दी गई, जब कि एक बार पहले भी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा हो चुकी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदया किसी भी जांच को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की कोई समय-सीमा सदन को बताएंगी? जो पदाधिकारी उसमें निलम्बित हुए थे, पिछले दरवाजे से उनका निलम्बन तो वापिस हो ही गया, अब फिर उसी जगह पर वे पदस्थापित हैं। तो जब तक इसकी जांच पूरी न हो जाए, उनको वहां से हटाकर क्या किसी और जगह पर रखा जाएगा, जिस जगह का रेलवे की सुरक्षा से संबंध न हो?

कुमारी ममता बनर्जी: सर, मेरे आने से पहले इसका डिसीजन ले लिया गया था, मैंने यह डिसीजन नहीं लिया। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि मैंने यह जानकारी नहीं ली या दिग्विजय सिंह जी ने यह जानकारी नहीं ली, हम लोगों के आने के पहले यह जानकारी ली गई थी। इसके बाद भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, जिसके खिलाफ वह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रहेगी, उसके साथ जितनी भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, हम लोग करेंगे और कानून के मुताबिक हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। We are just waiting for the report and whatever names come up in this report, strong action will be taken against them.

श्री राजीव रंजन सिंह: तब तक वे सारे लोग वहां काम करते रहेंगे?

KUMARI MAMATA BANERJEE: This is not according to me. This is according to the Safety Commission's report.

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक: महोदय, मंत्री महोदया के जवाब से एक बात निकलती है कि उस वक्त जिन कर्मचारियों को नौकरी से मुअत्तल किया गया था, वह क्या सोचकर किया गया था, क्यों किया गया था? अगर आप के कमिश्नर ने अब कहा है कि वे बेकसूर हैं, तो उन्हें मुअत्तल किया ही क्यों गया था? क्या इसलिए किया गया था कि अवाम में नाराजगी थी और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वह सब किया गया? क्या कसूर था उनका? उन्हें क्यों मुअत्तल किया गया था?

कुमारी ममता बनर्जी: सर, जान-बूझकर किसी को दुःख देना हमारा काम नहीं है लेकिन इस गैसल ऐक्सीडेंट में जितने आदमी मरे थे, यह हमारे देश के लिए.....(व्यवधान)

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक: आपका कमिशनर कहता है कि उनका कोई दोष नहीं है। फिर किस लिए इन कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया था?

कुमारी ममता बनर्जी: मैं वही बात कह रही हूँ कि गैसल इंसिडेंट के लिए हर आदमी के ऊपर(व्यवधान)

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक: वह बात नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी: प्लीज, हमको बोलने दीजिए। अगर आपको रिप्लाय पसंद नहीं आएगा तो आप मुझ से पूछ सकते हैं। गैसल का जो इंसिडेंट है, वह एक कलंक है, वह एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है, it is a black incident in our history. इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जो गैसल इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, उसको किसी तरह का मौका मिले छूटने के लिए(व्यवधान) For this, we are just waiting for the investigation to be completed.

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक: पहले वहां लोगों को क्यों मुअत्तल किया गया था जब उनका कोई दोष ही नहीं था?

श्री संघ प्रिय गौतम: वह हमेशा होता है।

कुमारी ममता बनर्जी: सर, जब कोई इंसिडेंट होता है तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर....(व्यवधान) मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे 16 लाख इम्प्लायीज हैं। हमारे बहुत सारे रेलवे स्टेशंस ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं, जिसमें सबोटेज भी हो सकता है, हुआ है, मैं आप से विनती करना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसा कुछ न करें जिससे...(व्यवधान) बम ब्लास्ट नहीं हुआ था कुछ दिन पहले? बम ब्लास्ट हुआ था ना, इसीलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि हम लोग ऐसी बात न करें जिससे हमारे 16 लाख इम्प्लायीज और देश के पैसेंजर्स की सुरक्षा को कोई खतरा हो। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको मुताबिक हम लोग जरूर ऐक्शन लेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जब गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन ऐपाइंट की है, तो उसको इग्रोर करके हम कैसे ऐक्शन ले सकते हैं?

...(Interruptions)...

KUMARI MAMATA BANERJEE: This is a judicial inquiry. I cannot reply on that. We want that it should be completed as early as possible. In your State also, there are several judicial commissions...(Interruptions)

SHRI MD. SALIM: But it cannot be indefinite. It cannot go on.

श्री रामदेव भंडारी: मरने वालों का ध्यान नहीं है आपको। आप नहीं चाहते कि मरने वालों को न्याय मिले ... (व्यवधान)

SHRI T. N. CHATURVEDI: Why are you bringing in this aspect? Mr. Bhandari had started it in the right spirit. But you have unnecessarily brought in... (Interruptions) आपने जो सवाल किया था, वह मानवीय दृष्टिकोण से किया था लेकिन उसमें जिस तरह के सवाल जोड़े गए, वह मैं समझता हूँ... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री शंकर राय चौधरी: माननीय सभापति जी, जैसे-जैसे यह बहस चल रही है गैसल पर, मुझे याद आ रहा है कि पटना में जो विमान दुर्घटना हुई थी, तब भी ये सवाल इसी ढंग से पूछे जा रहे थे। जैसे हमने पटना के बारे में सवाल उठाया था एयर-ऐक्सीडेंट्स के बारे में, उसी आधार पर मैं मंत्री महोदया से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि गैसल से पहले, हमारे यहां जो रेल दुर्घटना हुई हैं, उनके बारे में जांच कमेटियों की जो रिपोर्टें थीं, जो उनकी फाईंडिंग्स थी, उनको क्या अब तक लागू किया गया है? महोदय, रेल बजट पर चर्चा के दौरान यह बहस उठी थी कि रेलवे के पास पैसा नहीं है लेकिन रेलवे अपनी सीमाओं को फैला रही है तो मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि सेफ्टी पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है?

KUMARI MAMATA BANERJEE: Sir, the first question relates to the previous inquiries and their reports. सर, सेफ्टी के बारे में ख़ास कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 5 साल में 15 हजार करोड़ रुपया गवर्नमेंट को देने के लिए रिकमंड किया था। लेकिन वह रुपया हम लोगों को नहीं मिला। This time also for track renewal, we have given Rs. 2,000 Crores. We have given more money for safety measures this year.

श्रद्धेय धर्मा बिरियो: माननीय मंत्री महोदया ने जो दुर्घटना एक साल पहले हुई बड़े दर्दनाक के साथ उसको स्वीकार भी किया है और इस बारे में एश्योरेंस भी दिया है। इस बारे में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कटिहार डिविजन में जो डिविजनल मैनेजर था। वह वहां का सर्वोपरि ऑफिसर था। दुर्घटना के समय वह वहां तैनात था। तो क्या वह उस दुर्घटना में इन्वोल्व रहा है? उसके बाद उसका हावड़ा ट्रांसफर किया गया जबकि हावड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। दुर्घटना में इन्वोल्व्ड उस व्यक्ति का जो हावड़ा ट्रांसफर किया गया है, तो क्या यह उसका प्रमोशन नहीं है? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

KUMARI MAMATA BANERJEE: Sir, the transfer is not related to the Gaisal incident. It is according to seniority; and he was in the panel. This man was not on duty on that particular day. (Interruptions)

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उनके उत्तर से मेरा प्रश्न निकल रहा है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि सेबोटेज अभी भी हो रहा। तो गैसेल की जो दुर्घटना हुई उसके पीछे यह बात निर्णायक रूप में सामने आ चुकी है कि क्या वहां कोई सेबोटेज हुआ था और यह सेबोटेज के जो क्षेत्र हैं कौन-कौन से ऐसे रेलवे के टूक हैं जहां सेबोटेज की सर्वाधिक सम्भावनाएं हैं? मंत्री जी कृपा करके यह भी बताएं कि इस सेबोटेज को रोकने के लिए आप ने ऐसे कौन से प्रबन्ध किए हैं ताकि भविष्य में सेबोटेज कम से कम हों?

कुमारी ममता बनर्जी: सर, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में 62 हजार 800 किलोमीटर रेलवे का रूट है....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोहन: कौन-कौन से क्षेत्रों में सेबोटेज हो रहा है?

कुमारी ममता बनर्जी: हिन्दुस्तान ऐसा बड़ा देश है and railway is the lifeline of the nation. It is the main link of transportation in our country. We have 62,800 route kms. Every day, about 12,000 trains have to run. Nearly 1.2 million people use the railways. There are 7,000 railway stations also. The railways go from one part of the country to another. Sir, 62,800 kms. is too big a distance. There are vulnerable areas, there are some backward areas, there are interior areas and there are some difficult zones. Even if I know the areas, I think, Sir, for the safety and security of the passengers, I should not disclose all these things. Those who do not love this country, they want to sabotage. Because of possible sabotage, I do not think, we should disclose this story. If the Member can talk to me confidentially, then I can pass on this information to him. (Interruptions) Sir, I can't say this on Gaisal accident because the investigation is still going on. Only after getting the report, can we say anything on that.

*367. [The Questioner (Shri K. C. Kondaiah) was absent. For Answer vide page 26 *infra*.]

Inquiry against Ex-President of ICC

*368. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:††
SHRI RAJIV RANJAN SINGH:

Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) whether an inquiry is going on against former President of International Cricket Council, Shri Jagmohan Dalmia, in match fixing;

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ravi Shanker Prasad.